Prabhat Khabar (Date: - 15/01/2020)

राज्य कैबिनेट के फैसले. 120 करोड़ रुपये का प्रावधान

33 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार देगी मकान

संवाददाता ▷ पटना

राज्य सरकार राज्य के 32.86 लाख गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध करायेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया. कैबिनेट की बैठक ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों को इसका लाभ दिया जायेगा. साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के पांच एइएस पीड़ित प्रखंड बोचहा, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर और मुसहरी के सुयोग्य परिवारों को भी मकान दिया जायेगा. इसके लिए प्रति आवास के निर्माण पर एक लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे. उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना के ● बाकी पेज 19 पर

1. मुजफ्फरपुर के एइएस पीड़ित बोचहा, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर व मुसहरी के योग्य परिवारों को भी मिलेगा लाभ
2. प्रति आवास के निर्माण पर एक लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे

आइजीआइएमएस में शुरू होगी वंशानुगत बीमारियों की जांच

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में वंशानुगत बीमारियों से संबंधित जांच शुरू होगी. संस्थान में एडवांस मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब की स्थापना के लिए कैबिनेट ने मशीन व उपकरण की खरीद के लिए 78.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस योजना की प्रशासनिक व व्यय की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है.

जीएमसीएच पूर्णिया में अब होंगे 500 बेड

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया में स्वीकृत 300 बेडों के अस्पताल को 500 बेडों के अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा. इसके लिए कैबिनेट ने तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 87 करोड़ 78 लाख 24 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इसके भवन का निर्माण बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से कराया जायेगा. ● देखें पेज 10 भी

Prabhat Khabar (Date: - 15/01/2020)

प्रोत्साहन . 2442 एकड़ का स्पेशल लैंड बैंक किया गया तैयार

बिहारी मूल के उद्यमियों को निवेश के लिए लीज पर जमीन देगी सरकार

प्रभात खबर
खास

राजदेव पांडेय ▷ पटना

सूरत, अहमदाबाद, पुणे व मुंबई में बसे बिहार मूल के उद्यमी यहां उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उद्योग विभाग उन्हें लीज पर जमीन मुहैया करा सकती है. इसके लिए उसने 2442 एकड़ का स्पेशल लैंड बैंक तैयार किया है. कुछ निवेशकों ने निवेश की संभावना के लिए फील्ड विजिट भी शुरू की है. इनमें कुछ ऐसे बाहरी निवेशक भी हैं, जो दूसरे प्रांतों में बेहतर कार्य कर रहे हैं. बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह लैंड बैंक बंद हो चुकी चीनी मिलों की जमीन से बना है. लैंड बैंक पटना, गोपालगंज, पूर्णिया, नवादा, वैशाली, गया, सीवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण जिलों में है.

यहां के निवेशकों ने इन सेक्टरों में दिखायी रुचि

- सूरत में बतौर उद्यमी स्थापित बिहार के उद्यमियों ने बिहार में खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग मसलन फिशरीज, मखाना, एग फार्मिंग में रुचि दिखाई है . इसके अलावा हायड्रल प्रोजेक्ट, टेक्सटाइल, पेपर मिल, गारमेंट, कैमिकल इंडस्ट्रीज में रुचि दिखाई है . जेम्स एंड ज्वेलर्स में यहां उत्पादन के इच्छुक दिखे है .
- पूना में बसे बिहारी मूल के निवेशकों ने यहां फूड प्रोसेसिंग विशेष रूप से लीची- मैंगो, मखाना स्नेक्स तैयार करने में रुचि दिखाई है .
- मुंबई के बिहारी मूल और कुछ दूसरे निवेशकों ने लॉजिस्टिक पार्क एवं सिटी, ट्रेक्टर एंड ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण, रिन्यूवल

प्रतीकात्मक फोटो

एनर्जी प्लांट में रुचि दिखाई है. निवेशकों के आकर्षण की वजह हाल ही में इन शहरों में निवेश के लिए किये गये रोड शो रहे है . बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक और उनके अफसर अब गोवा और कोलकाता में बसे निवेशकों को आकर्षित करने जा रहे है . इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है .

बिहार राज्य के चीनी निगम से प्राप्त भूमि या लैंड बैंक

नाम	कुल भूमि (भूमि एकड़ में)
लोहट (मधुबनी)	213
हथुआ(गोपालगंज)	105.29
बनमंखी(पूर्णिया)	118.55
वारिसलीगंज(नवादा)	73.58
गोरौल - (वैशाली)	54.41
गुरारू - (गसर)	27.36
न्यू सावन(सीवान)	28.30
सीवान(सीवान)	32.58
संकरी (मधुबनी)	49.99
सुगौली (पूर्वी चंपारण)	55.03
मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)	897.40
बिहटा (पटना)	789.92
कुल जमीन	2442 एकड़

रोड शो का अच्छा प्रभाव पड़ा है . बिहारी मूल के बाहरी निवेशक यहां निवेश कर राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं . कुछ यहां सर्वे भी कर चुके है . सरकार उन्हें निवेश के लिए लीज पर जमीन देगी . - श्याम रजक, उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

Hindustan (Date: - 15/01/2020)

बिहार औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, उद्यमियों को नए साल में दीं कई सौगातें

उद्योगों को एसजीएसटी में अब 80% प्रतिपूर्ति

कैबिनेट की बैठक

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार ने प्रदेश के उद्यमियों को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। औद्योगिक नीति-2016 की मध्यावधि समीक्षा (मिड टर्म रिव्यू) को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पांच महत्वपूर्ण बदलावों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। इनमें जीएसटी में राज्यांश की प्रतिपूर्ति का मसला भी शामिल है। अब एसजीएसटी के मद में नकद इनपुट क्रेडिट जमा करने वाले उद्यमियों को 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देगी।

राहत 1

जिस वक्त औद्योगिक नीति बनी तब जीएसटी के स्थान पर वैट था। एक जुलाई 2017 से बिहार सहित देश में जीएसटी लागू होने के बाद से प्रतिपूर्ति को लेकर पेच फंस गया था। तभी से उद्योग संगठन इसके निदान की मांग उठा रहे थे। उद्यमी पंचायतों में भी वे मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग उठा चुके हैं। तब मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए उद्योग विभाग से प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। इसी क्रम में जीएसटी प्रतिपूर्ति का पेच हल हो गया है।

बदलाव

- औद्योगिक नीति-2016 के मध्यावधि समीक्षा संबंधी प्रस्ताव को राज्य सरकार ने दी मंजूरी
- जीएसटी का पेच भी खत्म, जब औद्योगिक नीति बनी थी तब जीएसटी की जगह था वैट

2017 में पूरे देश में जीएसटी लागू हुई थी

एक-चौथाई विस्तार पर ही मिलेगा नीति का लाभ

औद्योगिक नीति-2016 के तहत उद्योग के विस्तारीकरण के लिए 50 प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। उद्यमियों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने अब 25 प्रतिशत विस्तार करने वाली इकाइयों को भी नीति का लाभ देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

राहत 2

व्यावसायिक निजी बैंकों से भी ले सकेंगे उद्योगों के लिए कर्ज

औद्योगिक नीति-2016 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाली इकाइयों को ही नीति का लाभ देय था। इसे लेकर उद्योग संगठनों ने आपत्ति जताई थी। कहा था कि निजी बैंकों से ऋण लेने वाली इकाइयों को भी नीति का लाभ दिया जाए। राज्य कैबिनेट ने इस मांग को मंजूर कर लिया है।

राहत 3

हर पंचायत में नौवीं की पढ़ाई के लिए 409 करोड़ स्वीकृत

सभी 8386 ग्राम पंचायतों में अप्रैल, 2020 से नौवीं की पढ़ाई शुरू होनी है। इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक में 409 करोड़ 47 लाख की स्वीकृति मिली। इनमें 329 करोड़ तत्काल जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृत मिली। उक्त राशि से उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के 2950 प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्कर की खरीद की जाएगी। साथ ही इनमें से 1483 विद्यालयों में 2750 अतिरिक्त वर्गकक्ष और शौचालय आदि का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में 8386 ग्राम पंचायतें हैं। शेष पंचायतों में नौवीं की पढ़ाई पूर्व से ही हो रही है।

लागत में अब 20% जमीन का मूल्य

राज्य सरकार ने उद्यमियों को एक और बड़ा तोहफा दिया था। दरअसल औद्योगिक नीति-2016 में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। अभी तक स्वीकृति परियोजना की कुल लागत में भूमि लागत की सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अभी तक यह सीमा कुल लागत की 10 प्रतिशत थी। इस बदलाव से उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी और उद्योग लगाने में सहूलियत मिलेगी।

राहत 4

व्हाइट केटेगरी वालों को न लेना होगा प्रमाणपत्र

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व उद्योगों की वर्गीकरण सूची में व्हाइट केटेगरी को और बढ़ा दिया गया था। इस श्रेणी के उद्योगों को इंडस्ट्री शुरू करने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले रेड, ओरेंज व ग्रीन तीन श्रेणियां थीं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी बदलाव किया है। अभी तक ग्रीन केटेगरी में शामिल औद्योगिक इकाइयों को उद्योग स्थापित करने और उसे शुरू करने की अनुमति प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से नहीं लेनी होती थी। मगर अब ग्रीन की जगह व्हाइट कैटेगरी के लिए यह अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा।

राहत 5

भीमबांध पथ को 31 करोड़

पथ प्रमंडल मुंगेर के अंतर्गत भीम बांध वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में कुंडास्थान से भीमबांध वन पथ 9.5 किलोमीटर में मिट्टी कार्य, मरम्मत, छोटी पुलिया आदि के निर्माण के लिए 31 करोड़ 41 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कुओं का जीर्णोद्धार होगा

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) राज्य हर ग्राम पंचायत में एक कुओं का जीर्णोद्धार करेगा। साथ ही उसके समीप एक सोख्ता का निर्माण भी करेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 45.67 करोड़ की स्वीकृति दी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- धान और सीएमआर अधिप्राप्ति कार्यक्रम के तहत चार हजार करोड़ का लोन बैंकों से लेने के लिए सरकार ने गारंटी प्रदान की।
- बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली 2020 के तहत एकमुश्त बकाया कर वसूले जाने की स्वीकृति मिली।
- विधानसभा के चतुर्दश और विधान परिषद के 193 वें सत्र के सत्रावसान पर मंजूरी मिली।
- बिहार आपूर्ति सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति मिली।